

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1990-111/ 250

दिनांक :- 22/03/2021

आदेश संख्या:- 355 /2020-21

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-13 में स्वीकृत की जाती है।

क. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मोहम्मद रफीक शेख	632/88	5952	05.11.1990	05.11.2017	
2	हनुमान प्रसाद कालावत	26/89	2103	11.02.1991	11.02.2018	
3	जुगल किशोर	253/89	8426	11.02.1991	11.02.2021	तीसरी संतान के कारण
4	सुभाष चंद अग्रवाल	25/90	5477	04.08.1993	04.08.2020	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
5	सावरमल अग्रवाल	26/90	5483	21.06.1993	21.06.2020	
6	सुरेन्द्र कुमार बडका	67/90	5595	28.07.1993	28.07.2020	
7	गौरव शर्मा	77/90	2224	10.12.1993	10.12.2020	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
8	लक्ष्मण लाल	130/90	2274	21.06.1993	21.06.2020	
9	रमेश व्यास	141/90	2021	21.06.1993	21.06.2020	
10	राजकुमार केसवानी	156/90	2025	21.06.1993	21.06.2020	
11	राजेश कुमार	215/90	2033	28.07.1993	28.07.2020	
12	सागरमल पोरवाल	263/90	5733	05.08.1993	05.08.2020	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
13	शिवशंकर रंगा	270/90	5744	06.08.1993	06.08.2020	
14	सीताराम बैरवा	364/90	5763	26.07.1993	26.07.2020	
15	रमेश चंद जाटव	366/90	2117	31.07.1993	31.07.2020	
16	सत्यराम मीणा	383/90	5764	03.01.1994	03.01.2021	पुनर्विवाह से तीसरी संतान
17	रामवतार मीणा	388/90	2125	14.09.1993	14.09.2020	
18	नरसिंह राम मीणा	399/90	2535	30.10.1993	30.10.2020	
19	अनिल व्यास	402/90	3703	27.09.1993	27.09.2020	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
20	सुरेश सिंह चौहान	410/90	5767	07.01.1994	07.01.2021	
21	कमल कुमार	411/90		15.02.1994	15.02.2021	
22	श्रीमति वीना भगत	453/90	5362	03.01.1994	03.01.2021	
23	श्रीमति सीमा भार्गव	465/90	5783	03.01.1994	03.01.2021	
24	श्रीमति मीनाक्षी शर्मा	485/90	2432	03.01.1994	03.01.2021	
25	संतोष कुमार मंगल	495/90	5785	03.01.1994	03.01.2021	
26	घनश्याम शर्मा	509/90	2887	03.01.1994	03.01.2021	
27	श्रीनिवास जाखड	518/90	5807	03.01.1994	03.01.2021	
28	रामबाबू शर्मा	548/90	2213	03.01.1994	03.01.2021	
29	नोपाराम	551/90	2549	03.01.1994	03.01.2021	



30	महेश कुमार तिवाडी	561/90	2472	03.01.1994	03.01.2021	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
31	महेश कुमार शर्मा	DGS/90	6070	16.02.1994	16.02.2021	
32	रमेश चंद चौहान	125/92	2258	29.12.1993	29.12.2020	

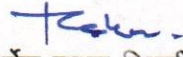
उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 4,7,12,19 एवं 30 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

क्रम संख्या 03 पर अंकित कार्मिक के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 01.06.2017 के क्रम में दिनांक 11.02.2018 के स्थान पर तीन वर्ष पश्चात् दिनांक 11.02.2021 को एसीपी स्वीकृत की जा रही है तथा क्रम संख्या 16 पर अंकित कार्मिक को पुर्नविवाह से उत्पन्न हुई तीसरी संतान के प्रकरण में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 24.07.2017 की पालना में दिनांक 03.01.2021 को एसीपी स्वीकृत की जा रही है।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें-

6. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
7. पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
8. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
9. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
10. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से दर्ज जावे।

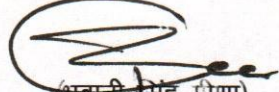

(सर्वेश कुमार तिवाडी)
निदेशक

दिनांक :- 22/03/2021

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1990-III/ 258

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. सहा उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(श्वेता सिंह)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)